



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4262/2007

याचिकाकर्ता :

मुकेश सिंह ठाकुर

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

और

117 अन्य संबंधित मामले।

23 अगस्त, 2007 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें।



सही/-

सतीश के. अग्रिहोत्री

न्यायाधीश



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4262/2007

याचिकाकर्ता : मुकेश सिंह ठाकुर पिता श्री गोकुल सिंह ठाकुर, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी शिवाजी वार्ड मुंगेली, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4418/2007

याचिकाकर्ता : मनोज कुमार भोई, पिता श्री अमरनाथ भोई, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी बंगालीपारा, गली क्र.-3 सरकंडा बिलासपुर (छ.ग.)
विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4713/2007

याचिकाकर्ता : कुमारी गरिमा शुक्ला, उम्र 25 वर्ष पिता श्री ए.के.शुक्ला, निवासी स्टेशन रोड नैला जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर [छ.ग.]
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर



(छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4430/2007याचिकाकर्ता

: मर्सी पी.डी., उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता श्री देवास्सी, निवासी
एस.एच.हॉस्टल, राजेंद्र नगर वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)
विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन
रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4420/2007याचिकाकर्ता

: भूपेन्द्र प्रसाद उपाध्याय पिता श्री दीनानाथ उपाध्याय, उम्र लगभग 27 वर्ष,
निवासी तरंग ऑटो सेंटर के पास, काली माई वार्ड मुंगेली, जिला बिलासपुर
(छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन
रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4427/2007याचिकाकर्ता

: सतीश कुमार पांडे, पिता श्री सुरेंद्र पांडे, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ओल्ड
माइनर्स क्वार्टर क्रमांक एम/31, ग्राम एवं पोस्ट भटगांव कोलियरी, जिला
सरगुजा - (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग , डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4524/2007याचिकाकर्ता

- : हेमवती कुमारी पति प्रदीप तिवारी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी एल.आई.सी. कार्यालय के पास, रसूलपुर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग , डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4437/2007याचिकाकर्ता

- : श्रीमती अनीता सिंह पति श्री अरविंद सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी शांति नगर वार्ड, दुर्गा मंदिर के सामने, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4447/2007

याचिकाकर्ता

: अजीत कुमार सिंह पिता श्री भरत सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी एम 339, जरही, पोस्ट भटगांव, जिला सरगुजा - (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4448/2007याचिकाकर्ता

: हेमंत पांडे पिता श्री विनोद पांडे, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी सहदेव नगर, वार्ड क्रमांक 19, राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4831/2007याचिकाकर्ता

: रीता डेनिस, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता श्री वाल्टर डेनिस, निवासी दीप्ति कॉन्वेंट कादम्बरी धरमपुरा, पो. जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)
4. प्राचार्य, क्राइस्ट कॉलेज, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4833/2007याचिकाकर्ता

: कु. शहमीना अहमद उम्र लगभग 20 वर्ष, छात्रा पिता श्री शरीफ अहमद, निवासी साहू कॉम्प्लेक्स के पीछे, अमन नगर, मोवा, तहसील और जिला - रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4837/2007याचिकाकर्ता

: कु. प्रतिमा ढोक पिता श्री प्रमोद ढोक उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 22, कंचन बाग, रायपुर नाका, लखोली रोड, राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4845/2007याचिकाकर्ता

: संध्या लता, उम्र लगभग 24, पिता श्री रमेश चंद, निवासी 27/बी, रेलवे कॉलोनी, भिलाई, (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,



(छ.ग.)

3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4846/2007

याचिकाकर्ता

: श्वेता लता, उम्र लगभग 22, पिता श्री रमेश चंद, निवासी 27/बी, रेलवे कॉलोनी, भिलाई (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4847/2007

याचिकाकर्ता

: श्रीमती आरती, पिता अगनु राम, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट उमरवाह डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4850/2007

याचिकाकर्ता

: विनय कुमार ओझा पिता श्री आर.डी.ओझा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी सतबहिनिया मंदिर रोड, देवरीखुर्द, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर



(छ.ग.)

2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)

3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4851/2007

याचिकाकर्ता

: नमिना देवी प्रधान पिता श्री चुईया राम प्रधान, उम्र लगभग 24 वर्ष श्री महेश भगत निवासी 4/336, सिंधी कॉलोनी, कस्तूरबा नगर बिलासपुर जिला।
बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर
(छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4863/2007

याचिकाकर्ता

: सरदाना मैरी डी'कूज़, उम्र लगभग 29 वर्ष, पिता स्व. पास्कल पॉल डी'कूज़
निवासी सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर
(छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4877/2007

याचिकाकर्ता

: सत्येन्द्र सिंह पिता श्री महेंद्र सिंह उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी - द्वारा



सभापति सिंह, मकान क्रमांक 22 नेताजी सुभाष पथ कुंजनगर पोस्ट सोनारी,
जिला पूर्वी सिंह भूमि जमशेदपुर, (झारखंड)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4880/2007

याचिकाकर्ता

- : प्रतिभा दीक्षित पति श्री एस.एस.दीक्षित, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी
एमआईजी-1, 291, हुडको आमदी नगर भिलाई, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4881/2007

याचिकाकर्ता

- : उषा श्रीवास्तव पिता श्री आई.सी.श्रीवास्तव, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी
एमआईजी-1, 871 हुडको भिलाई, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)



रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4886/2007

याचिकाकर्ता : विकास द्विवेदी, उम्र लगभग 25 वर्ष, पिता श्री रामचन्द्र द्विवेदी, निवासी साईं मंदिर रोड, मेयर हाउस के पीछे, सुभाष नगर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4446/2007

याचिकाकर्ता : जीतेन्द्र कुमार तिवारी पिता श्री सुदर्शन प्रसाद तिवारी उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी रजत मेडिकल स्टोर्स जरही पोस्ट जरही (भटगांव), जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4444/2007

याचिकाकर्ता : मनोज कुमार पांडे पिता श्री बी.एन.पांडेय, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी सिंह कॉलोनी, केदारपुर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर



(छ.ग.)

2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,

(छ.ग.)

3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4986/2007

याचिकाकर्ता

: सुनील कुमार मिश्रा पिता श्री बी.बी.मिश्रा, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी नेहरू नगर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)

2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,

(छ.ग.)

3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4972/2007

याचिकाकर्ता

: मिलन कांति जाना पिता सुधीर चंद्र जाना, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट परमानंदपुर, थाना मोयना, जिला पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, वर्तमान द्वारा -प्रशांत पांडे, आर-1 के सामने, गायत्री मंदिर के पास, विनोबा नगर, बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)

2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

3. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4971/2007



याचिकाकर्ता

: सुस्मिता चंद्रा, पिता दीनबंधु चंद्रा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट अमता, शिबतला, पुलिस थाना अमता, जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल, वर्तमान वर्तमान निवास द्वारा- प्रसाद पांडे, आकृति एस.टी.डी. पी.सी.ओ. आर-1 के सामने, विनोबा नगर, बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)
3. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4515/2007

याचिकाकर्ता

: सुश्री सरला शर्मा, उम्र लगभग 22 वर्ष पिता श्री ए.के.शर्मा, निवासी मकान क्रमांक 1, बोरसी रोड दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)
3. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4797/2007

याचिकाकर्ता

: शेर्ली थॉमस, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता थॉमस वी. निवासी एस.टी. फ्रांसिस निवास, पी.बी. क्रमांक 56, प्रधान डाकघर, रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)



3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

4. प्राचार्य, क्राइस्ट कॉलेज, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4612/2007

याचिकाकर्ता

: पूजा शर्मा पिता जे.सी.शर्मा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी सरीन निवासी, मकान क्र. 402, गिरिराज होटल के पीछे, जेल रोड, साई नगर, रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4580/2007

याचिकाकर्ता

: कुमारी रजनी सिंह पिता डॉ. ए.के.सिंह, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी शिव कुटीर, राजकिशोर नगर, बिलासपुर, (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4628/2007

याचिकाकर्ता

: 1. सच्चिदानंद पधान पिता श्री दीनबंधु पधान, उम्र लगभग 31 वर्ष, व्यवसाय छात्र, निवासी पोस्ट कुल्टा टुकुरा ग्राम लाराम्भा, जिला बरगढ़, उड़ीसा।
2. अनंत बासुदेव पांडा पिता श्री बिपिन बिहारी पांडा, उम्र लगभग 32 वर्ष,



व्यवसाय छात्र, निवासी ग्राम केरमेली, पोस्ट चांटीपाली, जिला बरगढ़, उड़ीसा।

3. हरिबंधु कठार पिता श्री जेतू कठार, उम्र लगभग 30 वर्ष, व्यवसाय छात्र, निवासी ग्राम एस रामपुर, पोस्ट सारसमल, जिला सोनपुर, उड़ीसा।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4419/2007

याचिकाकर्ता

- : ओमी तिवारी पति श्री अमित तिवारी, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी नयागंज वार्ड भाटापारा, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4545/2007

याचिकाकर्ता

- : अजय कुमार सिंह पिता श्री राम उग्रह सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, वर्तमान निवास क्वार्टर नंबर 5 बी, स्ट्रीट एन.पी.ए. सेक्टर 9, भिलाई नगर, भिलाई, छत्तीसगढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,



(छ.ग.)

3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4540/2007

याचिकाकर्ता

- : 1. बिमल भोई, पिता श्री सुंदरानी भोई, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी तहसील एवं पोस्ट दीप्तिपुर, वाया मेलछामुंडा, जिला बरगढ़ (उड़ीसा)
2. जयंती टांडी, पिता श्री देबा दत्ता टांडी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी पुरेना, वाया राजबोरासांबर, जिला बरगढ़ (उड़ीसा)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4525/2007

याचिकाकर्ता

- : कु. रेशमा रानी, पिता श्री नरेन्द्र कुमार राठी, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी। क्वार्टर नंबर 4-डी, स्ट्रीट नंबर 70, सेक्टर 6, भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा नियंत्रक, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. अध्यक्ष, परामर्श समिति, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, द्वारा नियंत्रक, सी/168, टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)
4. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, द्वारा संचालक, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)



रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4626/2007

याचिकाकर्ता

: कुमारी सपना दुबे पिता प्रभाकर दुबे, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी
ब्राम्हणपारा भट्टी रोड, केदारपुर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छ.ग.

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4719/2007

याचिकाकर्ता

: पूनम गुलाटी पति श्री रंजीत गुलाटी, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी 349,
प्रियदर्शिनी नगर, रिंग रोड नंबर 1, रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4941/2007

याचिकाकर्ता

: अनीता कुमारी जेना पिता श्री उदय नाथ जेना, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी
मेन रोड, ओल्ड माइन कुरासिया, गोदारी पारा, चिरमिरी, जिला कोरिया
(छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,



(छ.ग.)

3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4717/2007

याचिकाकर्ता

: श्रीमती बिथीका सेन, उम्र लगभग 27 वर्ष, पति श्री दीपांकर सेन, निवासी गुर्जर समाज के पास, जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4723/2007

याचिकाकर्ता

: देवचरण राजपूत पिता स्व. श्री राम राजपूत, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम मझगांव, पो. सरधा, तहसील लोरमी, जिला: बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4726/2007

याचिकाकर्ता

: अमित कुमार तिवारी पिता श्री एस.के. तिवारी, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी सर्वोदय नगर, डाल्टनगंज जिला पलामू (झारखंड)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर



(छ.ग.)

2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,

(छ.ग.)

3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4739/2007याचिकाकर्ता

: सनीमोल, पति संजय कुमार, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी क्वार्टर क्रमांक 875/1, न्यू कंस्ट्रक्शन कॉलोनी, बिलासपुर - (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)

2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)

3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4741/2007याचिकाकर्ता

: 1. सरिता चौहान, पति अरविन्द सिंह बदोरिया, पिता अनुरुद्ध सिंह चौहान, उम्र लगभग 31 वर्ष

2. मोनिका चौहान, पिता अनुरुद्ध सिंह चौहान, उम्र लगभग 27 वर्ष।

दोनों निवासी गांधी मैदान के सामने, गरियाबंद, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)

2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)

3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4746/2007

याचिकाकर्ता

: रामस्वरूप लैहर्षण पिता स्व. कुंज राम, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम-
कुकदा, पोस्ट महुदा, पी.एस. एन.टी.पी.सी. सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर
(छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4690/2007याचिकाकर्ता

: लक्ष्मण गरिया पिता कस्ता गरिया, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी थाना -
कुरुअन, वाया रेमुंडा, तह और जिला बरगढ़ (उड़ीसा)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर
(छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4696/2007याचिकाकर्ता

: नीतू सिंह, पति श्री कमल किशोर, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ईडब्ल्यूएस
478, वैशाली नगर, भिलाई, जिला - दुर्ग (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर
(छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)



रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4697/2007

याचिकाकर्ता

: सीमा सिंह, पति श्री जी.एन. सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी
एल.आई.जी.-1/481, हाउसिंग बोर्ड, आई.ई., भिलाई, जिला-दुर्ग,
(छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर
(छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4443/2007

याचिकाकर्ता

: रूबी झा, उम्र लगभग 27 वर्ष, पिता श्री सुधांशु शेखर झा, निवासी. प्रश्न.
क्रमांक 367/1, रेलवे इंजीनियरिंग कॉलोनी, फाफाडीह, रायपुर, जिला.
रायपुर(छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर
(छ.ग.)
2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)
3. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4939/2007

याचिकाकर्तागण

- : 1. महेश कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता श्री राम चन्द्र महतो, निवासी
अमावां, पोस्ट-अमावां ग्राम बरबीघा, जिला. नालन्दा, बिहार
2. कुमारी रेनू छाबरिया, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता श्री हासानंद छाबरिया,
निवासी 108 शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)



विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4477/2007

याचिकाकर्ता

- : कैलाश कुंजन पिता स्व. लक्ष्मीकांत दास, उम्र लगभग 30 वर्ष, जाति: कायस्थ, निवासी-ग्राम व पोस्ट बेरी, तहसील विशेश्वर अस्थान, जिला दरभंगा (बिहार) वर्तमान निवासी द्वारा एन.के. ठाकुर स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन गुंडरदेही, जिला. दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4497/2007

याचिकाकर्ता

- : श्रीमती रेणुका सारथी पति श्री आनंद सारथी, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी जामा मस्जिद के पीछे, पठान पारा, वार्ड क्रमांक 34, राजनांदगांव (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4705/2007याचिकाकर्ता

: उमाकांत देहेरी, पिता हेमसागर देहेरी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी गाँव बड़ी कोनी, तहसील और जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)
3. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4711/2007याचिकाकर्ता

: सुब्रत कुमार रथ, पिता कार्तिका रथ, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम-सरगी बहल, तहसील पदमपुर, जिला बरगढ़ (उड़ीसा)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4707/2007याचिकाकर्तागण

- : 1. परमानंद ब्रम्हभट्ट, पिता श्री तुलसीराम ब्रम्हभट्ट, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी न्यू आदर्श नगर, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
2. मोना जानी, पिता श्री चंद्रकांत व्यास, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी 173-ए, आर्य नगर, जिला: दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)



2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4927/2007

याचिकाकर्ता

: कुंज बिहारी द्विवेदी पिता श्री रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम-दादर-खुर्द, पो.ओ. मंझकपुर, जिला-कोरबा (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4926/2007

याचिकाकर्ता

: अनिल कुमार पटेल, पिता चैतन्य पटेल, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी पोस्ट जगदलपुर, द्वारा पदमपुर, जिला: बरगढ़ (उड़ीसा)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4923/2007

याचिकाकर्ता

: जयलाल भुइयां, पिता श्री तिरंजी भुइयां, उम्र लगभग 28 वर्ष, जाति गोला (अ.पि.व.), निवासी ग्राम गोलापाड़ा, तहसील-बिंका, जिला सोनपुर (उड़ीसा)



विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4935/2007

याचिकाकर्ता

- : राजू सैनी पिता श्री कुन्दन लाल, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट सूरौठ, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राजस्थान)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4512/2007

याचिकाकर्ता

- : धीरेन कुमार देबता पिता श्री मनोहर देबता, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट गुदरपाली, व्हाया मेलचामुंडा, तहसील – सोहेला, जिला बरगढ़ (उड़ीसा)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4934/2007

याचिकाकर्ता

: सुरेंद्र कुमार शर्मा पिता श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी
ग्राम व पोस्ट सूरौठ, तहसील हिंडौन सिटी, जिला करौली (राजस्थान)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर
(छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4827/2007याचिकाकर्ता

: मिनी जोसेफ, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता श्री जोसेफ, निवासी दीप्ति कॉन्वेंट
कादम्बरी धरमपुरा, पो. जगदलपुर, जिला. बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर
(छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)
4. प्राचार्य, क्राइस्ट कॉलेज, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4828/2007याचिकाकर्ता

: बिंदू मैथ्यू, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री मैथ्यू, निवासी दीप्ति कॉन्वेंट
कादम्बरी धरमपुरा, पो. जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर
(छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)



3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

4. प्राचार्य, क्राइस्ट कॉलेज, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4829/2007

याचिकाकर्ता

: जीजी जोसेफ, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता श्री जोसेफ, निवासी दीप्ति कॉन्वेंट कादम्बरी धरमपुरा, पो. जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)
4. प्राचार्य, क्राइस्ट कॉलेज, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4918/2007

याचिकाकर्ता

: रमणी बाई स्वामी, पिता स्व. डी. रामास्वामी, आयु लगभग 39 वर्ष, निवासी क्वार्टर क्रमांक 5/बी, गली क्रमांक 18, सेक्टर-5, भिलाई, जिला: दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4445/2007

याचिकाकर्ता

: राजाराम चतुर्वेदी पिता श्री रामकृष्ण चतुर्वेदी, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी कृष्णा नगर, बेलगहना, पोस्ट बेलगहना, जिला बिलासपुर (छ.ग.)



विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4428/2007

याचिकाकर्ता

- : मुकेश कुमार हरमुख पिता श्री धनेश राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट टेमरी, धमधा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4510/2007

याचिकाकर्ता

- : प्रदीप कुमार देबता, पिता श्री रमेश कुमार देबता, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट चुहानपाली, व्हाया मेलचामुंडा, तहसील सोहेला, जिला बरगढ़ (उड़ीसा)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4714/2007



याचिकाकर्ता : श्रीमती पूनम सिंह, पति श्री विवेक कुमार सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी भगवती पुस्तक भंडार, 16, मालवीय मार्केट अंबिकापुर, देवीगंज रोड, जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4715/2007

याचिकाकर्ता : श्रीमती पारुल, पति श्री राजेश कुमार तायल, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी। जोरापीपल, केदारपुर, मुखर्जी साउंड लेन, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4718/2007

याचिकाकर्ता : अर्चना पांडे पिता श्री पी.एम. पांडे, उम्र लगभग 29 वर्ष, वर्तमान निवासी क्वार्टर नंबर 2 बी, स्ट्रीट नंबर 6, सेक्टर 8, भिलाई, जिला दुर्गा, छत्तीसगढ़ ।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)



2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4625/2007

याचिकाकर्ता : श्रीमती मंशा दुबे, उम्र लगभग 27 वर्ष, पति श्री अमित दुबे, निवासी दुबे फॉर्म हाउस मेन रोड, बहीगांव, केशकाल, जिला बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4614/2007

याचिकाकर्ता : अर्चना पांडे पिता श्री पी.एन. पांडे, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी क्वार्टर नंबर 2/बी, गली नंबर 6, सेक्टर-8, भिलाईनगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4889/2007

याचिकाकर्ता : बिनीत कुमार पांडे पिता श्री चंद्रिका पांडे, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम चित्तविश्राम थाना नगर उंटारी, जिला गढ़वा (झारखंड)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4890/2007याचिकाकर्ता

- : रविकांत पांडे पिता श्री ए.एन. पांडे, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम चित्तविश्राम थाना नगर उंटारी, जिला. गढ़वा (झारखंड)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4891/2007याचिकाकर्ता

- : नवीन कुमार पांडे पिता श्री शोवा नाथ पांडे, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम उस्का थाना नगर उंटारी, जिला. गढ़वा (झारखंड)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4892/2007याचिकाकर्ता

- : संजीव कुमार गुंजन पिता श्री मुनी लाल कसेरा, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी



थाना नगर उंटारी के सामने नगर उंटारी, जिला गढ़वा (झारखंड)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4476/2007

याचिकाकर्ता

- : पंकज सारवा, पिता. कैलाश चंद्र, उम्र लगभग: 27 वर्ष, जाति: दर्जी, गांव और पोस्ट: गोटेन, तहसील: मेड़ता, जिला नागौर (राजस्थान)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4669/2007

याचिकाकर्ता

- : श्री गौरी शंकर यादव पिता श्री सालिक राम, उम्र, 26 वर्ष, निवासी ब्लॉक कॉलोनी आरंग, तहसील, आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4656/2007याचिकाकर्ता

: प्रशांत कुमार होता पिता स्वर्गीय तहसील होता उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी झंकारपाली, थाना हतीसर, जिला बरगढ़ (उड़ीसा)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4655/2007याचिकाकर्ता

: बीरेंद्र पधान पिता बंका पधान, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी-झंकारपाली, थाना हतीसर, जिला-बरगढ़, (उड़ीसा)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4647/2007याचिकाकर्ता

: हीना खोसला पिता श्री विजय कुमार खोसला, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी सरीन निवास, मकान नं. 402, गिरी राज होटल के पीछे, जेल रोड, साई नगर, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,



(छ.ग.)

3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4644/2007याचिकाकर्ता

: योगेन्द्र नाथ बेहरा पिता टंकाधर बेहरा उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी-केलेंडा, थाना मेलचामुंडा, तहसील-सोहेला, जिला-बरगढ़, (उड़ीसा)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4643/2007याचिकाकर्ता

- : 1. रश्मी धोने पिता श्री वी.जी. धोने, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ए/12, कर्मचारी नगर, दुर्ग (छ.ग.)।
2. ए. लता पिता श्री वी.जे. राव, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ए/85 कर्मचारी नगर दुर्ग (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4642/2007याचिकाकर्ता

: प्रतिभा रानी मैती पिता प्रदीप कुमार मैती, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम बिश्रामपुर, पोस्ट-बिश्रामपुर, प्र. क्रमांक 1 बी/113, जिला-सरगुजा



(छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4641/2007याचिकाकर्ता

- : आरती कुमारी गुप्ता, पिता मुरली मनोहर गुप्ता, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम सरैया, पोस्ट-कबमहाशा जिला-कैमूर (बिहार)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4916/2007याचिकाकर्ता

- : कु. पी. माधवी, पिता पी. गोविंद राव, उम्र लगभग वर्ष, निवासी क्वार्टर क्रमांक 1252/2, एन.ई. कॉलोनी, बिलासपुर, तहसील और जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4896/2007याचिकाकर्ता

: श्रीमती नमिता मिश्रा, पति श्री सतीश मिश्रा, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी सरजू बगीचा, मसानगंज बिलासपुर, तहसील और जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4957/2007याचिकाकर्ता

: राजकिशोर, पिता श्री रामचन्द्र सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी-ग्राम-महुअवा खुर्द, पोस्ट-सोहंग, जिला-कुशीनगर (उ.प्र.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4825/2007याचिकाकर्ता

: जेसी जोसेफ, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता श्री सी.एम. जोसेफ, निवासी दीप्ति कॉन्वेंट कादंबरी धरमपुरा, पो. जगदलपुर जिला. बस्तर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)



3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

4. प्राचार्य, क्राइस्ट कॉलेज, जिला जगदलपुर बस्तर (छ.ग.).

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4826/2007

याचिकाकर्ता

: शीबा हिलारी, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता के.जे. हिलारी, निवासी एस.टी. फ्रांसिस निवास, पी.बी. क्रमांक 56 प्रधान डाकघर, रायपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)
4. प्राचार्य, क्राइस्ट कॉलेज, जिला जगदलपुर बस्तर (छ.ग.).

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4955/2007

याचिकाकर्ता

: संजुत कुमार बाग पिता श्री बल्लव कुमार बाग, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम-अशकोला, पो. धड़ांगरी, जिला पश्चिम-मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, वर्तमान द्वारा प्रशांत पांडे, विनोबा नगर, बिलासपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)
3. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4968/2007

याचिकाकर्ता

: प्रबीर कुमार शीत, पिता मदन मोहन शीत, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम-चरण दास ढाक, पो. गौरंगा चक, पुलिस थाना मोयना, जिला पूर्व-



मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, वर्तमान में द्वारा हर्ष पांडे, 14/551, आर-1 के पास, विनोबा नगर, बिलासपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)
3. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4706/2007

याचिकाकर्ता

- : किरण दास पति प्रवीण कुमार दास, उम्र लगभग 21 वर्ष, वर्तमान में निवासी पोस्ट सकरा, पुलिस थाना: सरिया, तहसील: सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.).

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)
3. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)

याचिका (सिविल) क्रमांक 4694/2007

याचिकाकर्ता

- : कु. श्रद्धा गुप्ता पिता श्री राजेंद्र कुमार गुप्ता, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी नयापारा, सुमित्रा सदन, सीजीईबी कार्यालय के पास, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)



3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4822/2007

याचिकाकर्ता : सत्येन्द्र कुमार, पिता श्री शिवमुनि प्रसाद, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी
निषाद सेवा समिति कैम्प-2, भिलाई, दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर
(छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4824/2007

याचिकाकर्ता : जेसी एंटनी, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता एंटनी ई, निवासी दीप्ति कॉन्वेंट
कादंबरी धरमपुरा, पो. जगदलपुर जिला. बस्तर (छ.ग.).

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर
(छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)
4. प्राचार्य, क्राइस्ट कॉलेज, जिला जगदलपुर बस्तर (छ.ग.).

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4765/2007

याचिकाकर्ता : श्रीमती सुषमा पांडे पति श्री अनिरुद्ध पांडे निवासी ग्राम कारगी-कला
तहसील कोटा जिला बिलासपुर(छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद एवं



व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4755/2007

याचिकाकर्ता

: आर. जय प्रिया पिल्लई पिता श्री पी.जी.के. पिल्लई, उम्र लगभग 34 वर्ष,
निवासी क्वार्टर-3/के स्ट्रीट 34 सेक्टर 7 भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर
(छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4748/2007

याचिकाकर्ता

: सुमन सिंह, पिता शिवजी सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी क्वार्टर क्रमांक
136-बी/एच.एस.सी.एल. कॉलोनी, रुआबांधा सेक्टर भिलाई दुर्ग,
जिला:दुर्ग (छ.ग.)।
विरुद्ध

उत्तरवादीगण

: 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर
(छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,
(छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4759/2007

याचिकाकर्ता

: कुमारी भारती वाधरा, उम्र-34 वर्ष, पिता श्री प्रताप राय वाधरा, वर्तमान में
होली क्रॉस स्कूल बायरन बाजार, रायपुर (छ.ग.) में शिक्षक के रूप में
कार्यरत। निवासी सत्यनारायण धर्मशाला गली, लोधी पारा, स्टेशन रोड,
रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)।



विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4786/2007

याचिकाकर्तागण

- : 1. कु. आरती शर्मा, उम्र- 22 वर्ष पिता श्री डी.पी. शर्मा, निवासी क्वार्टर क्रमांक 1/सी, 69, बिश्रामपुर, बिश्रामपुर, जिला. सरगुजा (छ.ग.)
2. सचिन्द्र उपाध्याय, उम्र-24 वर्ष पिता श्री रवीन्द्रनाथ, निवासी: क्वार्टर क्रमांक जे.एम./93, जे.एम.ओ. कॉलोनी, बिश्रामपुर, जिला. सरगुजा (छ.ग.).

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4796/2007

याचिकाकर्ता

- : डेव्ही ऑगस्टीन, उम्र लगभग 27 वर्ष, पिता श्री ऑगस्टीन, निवासी एस.एच. हॉस्टल, राजेंद्र नगर वार्ड, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)
4. प्राचार्य, क्राइस्ट कॉलेज, जगदलपुर जिला बस्तर (छ.ग.)।



रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4676/2007

याचिकाकर्ता : श्रीमती रेखा द्विवेदी पति श्री टकेश्वर द्विवेदी, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बरहापुर, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4674/2007

याचिकाकर्ता : ममता सिंह, पिता श्री उपेन्द्र सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी अयप्पा मंदिर के पास, टाटीबंध, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)।
विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4671/2007

याचिकाकर्ता : कु. सुनीता सिंह पिता श्री रामेश्वर सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी विजय किराना स्टोर, दुर्गा चौक, टंकी मरोदा, भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)।
विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,



(छ.ग.)

3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4670/2007

याचिकाकर्ता

: विश्वनाथ उपाध्याय, उम्र लगभग 23 वर्ष, पिता श्री एम.एल. उपाध्याय, निवासी माँ काली वार्ड, पंडरिया रोड, मुंगेली बिलासपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4888/2007

याचिकाकर्ता

: मुकेश जाधव, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता श्री एम.डी. जाधव, निवासी कर्मचारी भवन के सामने, बूढ़ापारा, जिला रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4820/2007

याचिकाकर्ता

: रविंदर कौर, पिता श्री सतपाल सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक-271 मॉडल टाउन, भिलाई, दुर्ग (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर



(छ.ग.)

2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर,

(छ.ग.)

3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4821/2007

याचिकाकर्ता

: राजकुमारी पिता श्री फुलेश्वर प्रसाद, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी दुर्गेश किराना स्टोर, शारदा पारा, कैप-2 भिलाई दुर्ग (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4689/2007

याचिकाकर्ता

: श्रीमती अंजू सिंह पति श्री कार्तिक कुमार सिंह, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी भरार प्रेस के पीछे, देवीगंज रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.).

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4688/2007

याचिकाकर्ता

: श्रीमती कामना शशि मसीह, उम्र लगभग 37 वर्ष, पति श्री मनोज कुमार मसीह, व्यवसाय गृहणी, निवासी 204(सी) रूआबांधा सेक्टर भिलाई,



जिला दुर्ग (छ.ग.).

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4687/2007

याचिकाकर्ता

- : ताराचंद शर्मा पिता धूजी लाल शर्मा, उम्र लगभग 22 वर्ष, द्वारा शर्मा कुट्टी भंडार, आदर्श नगर, दुर्ग जिला: दुर्ग (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4686/2007

याचिकाकर्ता

- : पूजा शर्मा, पिता बनवारी लाल शर्मा, उम्र लगभग 21 वर्ष, द्वारा शर्मा कुट्टी भंडार, आदर्श नगर, दुर्ग, जिला: दुर्ग (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण

- : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4618/2007



याचिकाकर्ता : श्रीमती सविता सिंह पति श्री प्रदीप सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 154/05 स्ट्रीट नंबर 3 ई संतोषी मेस के पास प्रगति नगर, क्रिश्नाली भिलाई (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4677/2007

याचिकाकर्ता : गीतिका शर्मा, पति श्रवण शर्मा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी नेताजी गार्डन गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)
2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)
3. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4627/2007

याचिकाकर्तागण : 1. कुमारी ममता गुप्ता, उम्र लगभग 21 वर्ष।
2. कुमारी ललिता गुप्ता
दोनों पिता श्री एस.पी. गुप्ता, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी डोमनहिल, पोस्ट-सोनवाही, चिरमिरी, जिला कोरिया (छ.ग.)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)



2. नियंत्रक, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सी/168, टैगोर नगर रायपुर, (छ.ग.)
3. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (छ.ग.)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्रिहोत्री

याचिकाकर्तागण के लिए अधिवक्ता श्री प्रकाश तिवारी, श्री राजेश पांडे, श्री संदीप दुबे, श्री पी.एस.कोशी, श्री एस.के.थॉमस, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री गौतम खेत्रपाल, श्रीमती फौजिया मिर्जा, श्री राहुल मिश्रा, श्री रवीन्द्र अग्रवाल, श्री अभिषेक शर्मा, श्री अजय श्रीवास्तव, श्री पंकज श्रीवास्तव, श्री आनंद कुमार तिवारी, श्री विपिन तिवारी, श्री किशोर भादुड़ी, श्री सी.आर.साहू, श्री आर.के.केशरवानी, श्री योगेश्वर शर्मा, श्री जे.ए.लोहानी, श्री ए.एन.पांडेय, श्री आनंद केशरवानी, श्री अविनाश के.मिश्रा, श्री आर.के.जायसवाल, श्री अरुण शुक्ला, श्री राघवेंद्र प्रधान, श्री अनुप मजूमदार, श्री योगेश पांडे, श्री एल.सी.दास, श्री राहुल बिरथरे, श्री अमृतो दास, श्रीमती। मधुनिशा सिंह, श्री नीलकंठ मालवीय, श्री पी.पी.साहू, श्री मतीन सिद्दीकी, श्री सुभाष यादव, श्री जीतेन्द्र पाली, श्री मनोज परांजपे, श्री एम.पी.एस.भाटिया, श्री अमित शर्मा, श्री अरविन्द दुबे, श्री बी.पी.शर्मा, श्री मलय कुमार भादुड़ी, श्री विष्णु कोष्टा, श्री जी.एस.अहलूवालिया, श्री एफ.एस.खरे, श्री आलोक निगम, श्री अनुराग झा, श्री अभय तिवारी, श्री एम.एल.पहतोर, श्री ए.के.प्रसाद, श्री पारसमणि श्रीवास और श्री अशोक पाटिल, अधिवक्तागण।

राज्य के लिए श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता सहित श्री सूर्यकांत मिश्रा, पैनल अधिवक्ता।

नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर के लिए श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता।

निर्णय एवं आदेश

(23 अगस्त, 2007 को पारित)

1. इन याचिकाओं में याचिकाकर्तागण दिनांक 13.6.2007 को आयोजित लिखित परीक्षा और दिनांक 3.7.2007 को घोषित परिणाम के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार, इन सभी याचिकाओं में सम्मिलित विधि का प्रश्न और तथ्य एक ही हैं और एक ही वाद-कारण से उद्भूत हुए हैं। अतः, इन याचिकाओं का निराकरण इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिनांक 20 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना के अनुसरण में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्री बी.एड. परीक्षा में बैठने हेतु अपने आवेदन पत्र



प्रस्तुत किए। छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम, 2006 (संक्षेप में 'नियम, 2006') के नियम 4 में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड का प्रावधान है, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अभ्यर्थी के पास तीन वर्षीय स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन करने के बाद दिनांक 13.6.2007 को परीक्षा दी, जिसका परिणाम दिनांक 3.7.2007 को घोषित किया गया।

3. 17 जुलाई, 2007 को संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, रायपुर ने काउंसलिंग कार्यक्रम के लिए समाचार पत्र में एक नोटिस जारी किया, जिसमें इस आशय का विशेष टिप्पणी दिया गया कि सामान्य अभ्यर्थी जिनके स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री में 50% से कम अंक हैं और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (संक्षेप में 'अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व.') के मामले में उक्त डिग्री में 45% से कम अंक हैं, वे काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। याचिकाकर्तागण, जिन्होंने स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षा (सामान्य अभ्यर्थी के मामले में) में 50% से कम अंक प्राप्त किए थे और आरक्षित श्रेणियों के मामले में अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. , जिन्होंने 45% से कम अंक प्राप्त किए थे, ने ये याचिकाएं प्रस्तुत की हैं, जिसमें अनुतोष की मांग की गई है कि 17 जुलाई, 2007 के नोटिस को अभिखण्डित किया जाए तथा सभी अभ्यर्थियों को 20 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना में अधिसूचित पात्रता मानदंडों के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 17 जुलाई, 2007 का अनुवर्ती नोटिस राजपत्र अधिसूचना नहीं है और इस प्रकार यह दिनांक 20 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना में निर्धारित अपेक्षित योग्यता को संशोधित या परिवर्तित नहीं कर सकता है; दूसरे, याचिकाकर्ताओं ने 20 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना में प्रकाशित अपेक्षित योग्यता के आधार पर आवेदन किया है, इसे याचिकाकर्ताओं के अधिकारों के प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए राजपत्र अधिसूचना द्वारा भी परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि योग्यता में अनुवर्ती संशोधन या परिवर्तन याचिकाकर्ताओं को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने और मेरिट सूची में स्थान पाने के बाद काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर देगा; तीसरे, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाने पर, पात्रता सहित चयन मानदंड को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने 20 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना में अधिसूचित योग्यता को अपेक्षित योग्यता मानते हुए परीक्षा की तैयारी में अपना बहुमूल्य समय और धन खर्च किया है।

5. विद्वान उप महाधिवक्ता श्री विनय हरित और पैनल अधिवक्ता श्री सूर्यकांत मिश्रा ने इसके विपरीत तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 20 अप्रैल, 2006 की राज्य अधिसूचना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संक्षेप में 'एन.सी.टी.ई.') द्वारा जारी दिनांक 20 जुलाई, 2006 की अधिसूचना के अनुरूप नहीं है, जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1993') के तहत स्थापित किया गया था।



एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी केंद्रीय अधिसूचना का राज्य अधिसूचना पर अधिभावी प्रभाव होगा। एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी दिनांक 20.7.2006 की अधिसूचना (अनुलग्नक आर/1) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपेक्षित योग्यता प्रदान करती है। खंड 3.2.1 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले सामान्य अभ्यर्थी बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के हकदार होंगे तथा खंड 3.2.2 में अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. अभ्यर्थियों के मामले में छूट का प्रावधान है। स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार (अनुलग्नक आर / 7) द्वारा जारी अनुवर्ती अधिसूचना, जिसे दिनांक 6.6.2007 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री बी.एड. लिखित परीक्षा आयोजित करने से पहले, दिनांक 20 जुलाई, 2006 की अधिसूचना द्वारा एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित योग्यता के बराबर लाने के लिए योग्यता को संशोधित करने की सीमा तक राज्य अधिसूचना के नियम 4 (बी) में संशोधन किया गया था।

6. विद्वान अधिवक्ता आगे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि 'शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा' का क्षेत्र समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आता है, जिसे सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 66 के साथ पढ़ा जाए। राज्य को भारत संघ द्वारा जारी विनियमों/अधिसूचनाओं के उल्लंघन में नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सूची में 'शिक्षक प्रशिक्षण' से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है।

7. मैंने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अभिवचनों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ताओं ने बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्री बी.एड. परीक्षा में बैठने हेतु राज्य की दिनांक 20 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना के अनुसार अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए थे। नियम, 2006 के नियम 4 में अपेक्षित योग्यता का प्रावधान है। नियम 4(ख) इस प्रकार है:-

"(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्री-बी.एड. परीक्षा में अनंतिम प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन उन्हें काउंसलिंग के समय तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उन्हें प्री-बी.एड. परीक्षा की मेरिट सूची में होने के बावजूद बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।"

8. याचिकाकर्ता दिनांक 13.6.2007 को आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुए और उसका परिणाम दिनांक 3.7.2007 को घोषित किया गया। लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व, राज्य सरकार ने 6 जून, 2007 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा उक्त नियम, 2006 के नियम 4(ख) में निम्नानुसार संशोधन किया:-

नियम 4(ख) की प्रथम पंक्ति

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए" के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य स्थापित किया जाएगा-



"स्नातक डिग्री और/या मास्टर डिग्री या समकक्ष किसी अन्य योग्यता में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों और श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थी के लिए 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।"

9. दिनांक 6 जून, 2007 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अपेक्षित योग्यता में संशोधन के बावजूद, याचिकाकर्ताओं सहित सभी अभ्यर्थियों को दिनांक 13.6.2007 को आयोजित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। लिखित परीक्षा में सफल हुए याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग शुल्क का भुगतान करने पर काउंसलिंग के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए।

10. अधिनियम, 1993 की धारा 33 में अधिनियम, 1993 के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम और विनियम बनाने का प्रावधान है। एन.सी.टी.ई. ने अधिनियम, 1993 की धारा 32(2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियम बनाए, जिन्हें "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2006 (संक्षेप में 'विनियम, 2006')" कहा गया, जिसे दिनांक 20 जुलाई, 2006 की अधिसूचना के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया। विनियमों के खंड 3.2 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

"3.2. पात्रता

3.2.1 कार्यक्रम में दाखिले के लिए स्नातक की डिग्री तथा/अथवा एम-ए. की डिग्री अथवा उसके समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम-से-कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

3.2.2 अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों तथा केंद्रीय / संबंधित राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र प्रशासन के नियमों के अनुसार अन्य श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अंकों में छूट/सीटों में आरक्षण की व्यवस्था होगी"

11. राज्य सरकार की 6 जून, 2007 की अनुवर्ती राजपत्र अधिसूचना में 20 अप्रैल, 2006 की पूर्व अधिसूचना में निर्धारित योग्यता में संशोधन का प्रावधान है, ताकि उसे विनियम, 2006 के खंड 3.2 में निर्धारित योग्यता के अनुरूप बनाया जा सके।

12. याचिकाओं के इस समूह में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता में परिवर्तन/संशोधन कर सकती है ताकि इसे विनियम, 2006 द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुरूप लाया जा सके। यह सर्वविदित है कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू हो जाने पर निर्धारित चयन मानदंड परिवर्तित नहीं किये जा सकते (संदर्भ: सचिव, ए.पी. लोक सेवा आयोग बनाम बी. स्वप्ना एवं अन्य¹)।



13. वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि एन.सी.टी.ई. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा के स्तर पर नियंत्रण रखने के लिए सक्षम निकाय है, तो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अन्य नियम/विनियम अधिनियम, 1993 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ एवं अन्य बनाम शाह गोवर्धन एल. काबरा शिक्षक महाविद्यालय² के मामले में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण के संबंध में एन.सी.टी.ई. की शक्ति पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

"11.....एनसीटीई जो है वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अधीन गठित एक विशेषज्ञ निकाय है और संसद ने ऐसे विशेषज्ञ निकाय पर शिक्षा के मानकों को बनाए रखने का कर्तव्य लगाया है, विशेष रूप से शिक्षकों की शिक्षा के संबंध में। शिक्षा प्रत्येक लोकतंत्र की रीढ़ है और बी.एड. पाठ्यक्रम में शिक्षण के स्तर में कोई भी गिरावट अंततः निम्न स्तर के भावी शिक्षकों को जन्म देगी, जो देश भर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ाएंगे और जिनकी दक्षता पर देश का भविष्य निर्भर करता है। चूँकि शिक्षक ने स्वयं निम्न स्तर की शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए उससे स्कूलों या अन्य संस्थानों के छात्रों के लिए उच्च स्तर के शिक्षण की उम्मीद करना कठिन है....."

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने डॉ. प्रीति श्रीवास्तव एवं एक अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य³ मामले में बहुमत से निम्नलिखित अनुसार अभिनिर्धारित किया है :-

"35. अनुच्छेद 246 के अंतर्गत विधि निर्माण करने की संसद और राज्य विधानमंडलों की विधायी क्षमता संविधान की सातवीं अनुसूची द्वारा विनियमित होती है। मूल रूप से लागू सातवीं अनुसूची में, सूची II की प्रविष्टि 11 राज्य को निम्नलिखित पर विधि निर्माण करने का अनन्य अधिकार प्रदान करती है:

"विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा, सूची I की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 तथा सूची III की प्रविष्टि 25 के प्रावधानों के अधीन।"

संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम, 1976 के परिणामस्वरूप, सूची II की प्रविष्टि 11 को हटा दिया गया तथा सूची III की प्रविष्टि 25 को दिनांक 03.01.1976 से संशोधित किया गया। समवर्ती सूची में वर्तमान प्रविष्टि 25 इस प्रकार है:

"25. सूची I की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शिक्षा, जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय हैं; श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।"



प्रविष्टि 25, अन्य बातों के साथ-साथ, सूची I की प्रविष्टि 66 के अधीन है। सूची I की प्रविष्टि 66 इस प्रकार है:

"66. उच्च शिक्षा विभाग या अनुसंधान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण।"

संघ और राज्य दोनों को चिकित्सा शिक्षा सहित शिक्षा पर विधि निर्माण करने का अधिकार है, जो अन्य बातों के साथ-साथ सूची I की प्रविष्टि 66 के अधीन है, जो उच्च शिक्षा विभाग या अनुसंधान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानक निर्धारित करने और ऐसे मानकों के समन्वय से संबंधित है। इसलिए, राज्य को चिकित्सा शिक्षा सहित शिक्षा को नियंत्रित करने का अधिकार है, जब तक कि वह क्षेत्र किसी संघीय विधान द्वारा अधिसूचित न हो। दूसरे, राज्य, राज्य में शिक्षा को नियंत्रित करते हुए, उच्च शिक्षा विभाग संस्थानों के मानकों को प्रभावित नहीं कर सकता। क्योंकि यह विशेष रूप से संघ सरकार के क्षेत्राधिकार में है। इसलिए, उच्च चिकित्सा शिक्षा सहित उच्च शिक्षा विभाग संस्थानों में प्रवेश के मानदंड निर्धारित करते समय, राज्य सूची I की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत भारत संघ द्वारा निर्धारित मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता। दूसरे, इस विषय पर मामलों पर विचार करते समय यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि 1977 से, शिक्षा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा और विश्वविद्यालय शिक्षा भी सम्मिलित है, अब समवर्ती सूची में है, ताकि संघ प्रवेश मानदंडों पर भी नियम बना सके। यदि वह ऐसा करता है, तो राज्य अनुच्छेद 254 में दिए गए प्रावधान के अलावा, इस क्षेत्र में नियम नहीं बना पाएगा।

15. सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25, संघ सूची की सूची 1 की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के प्रावधानों के अधीन, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा का प्रावधान करती है। राज्य सूची में शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है। संघ सूची की प्रविष्टि 66, उच्च शिक्षा विभाग या अनुसंधान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण का प्रावधान करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य और एक अन्य बनाम एस.वी. ब्रतीप (अप्राप्तवय) और अन्य⁴ के मामले में, संघ सूची की प्रविष्टि 25 और प्रविष्टि 66 पर विचार करते हुए, निम्नलिखित अनुसार अभिनिर्धारित किया है :-

"9. सूची III की प्रविष्टि 25 और सूची I की प्रविष्टि 66 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसे इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि प्रवेश के मामले में कोई विशिष्टता बन जाए, लेकिन यदि सूची I की प्रविष्टि 66 के अनुसरण में मानकों का कुछ निर्धारण किया गया है, तो वे मानक सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत शक्तियों के प्रयोग में राज्य द्वारा निर्धारित मानकों पर प्रबल होंगे, जहां तक वे भारत संघ या इसके तहत कार्यरत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए, वर्तमान मामले में यह देखा जाना चाहिए कि क्या राज्य सरकार



द्वारा बनाए गए मानकों का निर्धारण किसी भी तरह से एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानकों के प्रतिकूल है या उससे कम है....."

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में निर्धारित निर्देशों को, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, मेरा विचार है कि राज्य सरकार द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपेक्षित योग्यता में संशोधन करना पूरी तरह से उचित है क्योंकि दिनांक 20 अप्रैल, 2006 के राजपत्र में अधिसूचित नियम, 2006 में निर्धारित योग्यता एन.सी.टी.ई. द्वारा बनाए गए विनियम, 2006 के अनुसार नहीं थी, जिसके पास शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा के मानक को विनियमित और निगरानी करने का पूर्ण अधिकार है। राज्य सरकार ऐसे किसी मानक का निर्धारण नहीं कर सकती जो एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानकों के प्रतिकूल या उससे कम हो। वैसे भी, जो अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी, वे उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार अपने दावों पर विचार किए जाने की वैध अपेक्षा रखते थे। (संदर्भ: मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम रघुवीर सिंह यादव एवं अन्य⁵)

17. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम, दिनांक 2006 को 20 अप्रैल, 2006 को अधिसूचित किया गया था। उस समय, एन.सी.टी.ई. द्वारा योग्यता के लिए कोई प्रावधान नहीं था। एन.सी.टी.ई. द्वारा बनाए गए नियम, 2006, जिसमें बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता अर्थात् 50% से कम अंक न होने वाली स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री निर्धारित की गई थी, को दिनांक 20 जुलाई, 2006 को अधिसूचित किए गए थे, जिनका राज्य नियम, 2006 पर भविष्य में प्रभाव होगा। प्री बी.एड. परीक्षा, 2007 के लिए विवरणिका अप्रैल, 2007 में जारी की गई थी। राज्य सरकार ने एन.सी.टी.ई. द्वारा बनाए गए प्रावधानों के अनुसार बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपेक्षित योग्यता निर्धारित करने हेतु नियम, 2006 में संशोधन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 6 जून 2007 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियम 4(ख) में बाद में किए गए संशोधन को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह एनसीटीई द्वारा विनियम, 2006 में किए गए निर्देशों के अनुरूप बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए किया गया था।

18. अभ्यर्थियों (यहाँ याचिकाकर्ताओं) ने नियम, 2006 में निर्धारित योग्यता के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया है, जो कि एन.सी.टी.ई. द्वारा विनियम, 2006 में निर्धारित योग्यता के विपरीत है।

19. राज्य सरकार द्वारा दुर्यपदेशन में की गई गलत जानकारी के आधार पर याचिकाकर्तागण परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें विनियम, 2006 द्वारा निर्धारित योग्यता में परिवर्तन के बावजूद, राज्य सरकार ने दुर्यपदेशन जारी रखी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता आवेदन पत्र भरने और उसके बाद परामर्श शुल्क के लिए किए गए सभी भुगतानों की वापसी के हकदार हैं।



20. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया ।

सही/-
सतीश के अग्रिहोत्री
न्यायाधीश

1. (2005) 4 S.C.C. 154)¹
2. (2002) 8 S.C.C. 228²
- 3 (1999) 7 S.C.C. 120³
4. (2004) 4 S.C.C. 513⁴
5. (1994) 6 S.C.C. 151⁵

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By

Angel Kujur, Advocate